न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 50/2019, जी.सी.एम.एस. नं. 2019/00119

1. रामसहाय दत्तक पुत्र मांग्या जाति कुम्हार निवासी पिपलाई तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपु, राज0।

अपी0

बनाम

1. रामज्योति पत्नि रामचरण } जातियान महाजन निवासीयान देहरी हालवासी
2. मोहनलाल पुत्र हजारीलाल } गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर जिला स.मा.
3. लैण्ड होल्डर सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर, राज0।

रेस्पों0

(अपील विरूद्व निर्णय व डिग्री न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बामनवास मु0न0 82/2008 निर्णय व डिग्री दिनांक 03.12.2009)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपी0 की ओर से श्री श्याम मोहन शर्मा
2. रेस्पो0 की ओर से श्री भानु कुमार सिंहल

निर्णय दिनांक 12.10.2021

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम 1955) के तहत मुकदमा नम्बर 82/2008 निर्णय व डिक्री दिनांक 03.12.2009 उनवानी रामज्योति वगै0 बनाम रामसहाय के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पों0 ने दावा बावत् इश्तकरारहक खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज एवं हुक्त इम्तनाई दवामी इस आशय का पेश किया कि ग्राम पिपलाई में भूमि साबिक ख.नं. 259 रकबा 1 विस्वा, ख.नं. 260 रकबा 13 बीघा 3 विस्वा भूमि रामकिशन पुत्र पाला माली की खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है। उक्त खातेदार ने ख.नं. 259 रकबा 1 विस्वा, ख.नं. 260 रकबा 13 बीघा 3 विस्वा में से 12 बीघा कुल 12 बीघा 4 विस्वा भूमि वादीगण/रेस्पों. व मु0 मैनादेवी पत्नि मोहनलाल को दिनांक 06.07.1979 को वय कर दी व भूमि का कब्जा सम्भला दिया। तभी से वादीगण/रेस्पों. का इस भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। भू-प्रबंध के ... रकबा 2 ऐयर ... 187 रकबा 23 ऐयर, ख.नं. 536 रकबा 6 ऐयर, ख.नं. 537 रकबा 10 ऐयर, ख.नं. ... रकबा 2.40 है0 कुल 2.81 है0 का इन्द्राज खातेदारी वादीगण/रेस्पों. व मैनादेवी के नाम किया जो 11 बीघा 5 विस्वा के बराबर भूमि होती है। इस प्रकार वादीगण/रेस्पों.

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:58:30 IST
Reason: SelfAttested

फोटो प्रतिलिपि
राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

को 1 बीघा भूमि कम दी गयी है जिसे प्रतिवादी/अपी0 नं0 1 के हाल ख.नं. 542 में गलत रूप से शामिल कर दिया गया है। वादीगण/रेस्पों. ने ख.नं. 538 में चाह का निर्माण कर रखा है। इससे लगता हुआ ख.नं. 539 है व इसके ही लगा हुआ ख.नं. 542 है जिसमें वादीगण/रेस्पों. की 25 ऐयर भूमि गलत रूप से प्रतिवादी/अपी0 नं. 1 के नमा दर्ज कर दी। उक्त भूमि वादीगण/रेस्पों. के कब्जे काश्त खातेदारी की ख.नं. 539 से लगती हुई का जुज पोरशन है जिस पर वादीगण/रेस्पों. काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण/रेस्पों. की भूमि का गलत इन्द्राज प्रतिवादी/अपी0 नं. 1 के नाम कर दिए जाने के कारण प्रतिवादी/अपी0 नं. 1 इस भूमि को रहन वय करने पर आमादा हो गया है। वादीगण/रेस्पों. ने माह सितम्बर 2008 में प्रतिवादी/अपी0 से इन्द्राज दुरूस्ती कराने को कहा परन्तु उसने धमकी दी कि वह वादीगण/रेस्पों. की जो 25 ऐयर भूमि उसके नाम लगा दी है उसका वादीगण/रेस्पों. को उपयोग उपभोग नहीं करने देगा। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण/रेस्पों. डिक्री फरमाया जाकर घोषित किया जावें कि आराजी ख.नं. 542 रकबा 97 ऐयर में से 25 ऐयर की वादीगण/रेस्पों. खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार दुरूस्ती की जावें। वादीगण/रेस्पों. का रकबा 12 बीघा 4 विस्वा के अनुरूप 3.05 है0 दर्ज किया जावें। वादीगण/रेस्पों. के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि ख.नं. 539 से लगती हुई भूमि ख.नं. 542 में से कम की जाकर वादीगण/रेस्पों. की खातेदारी भूमि ख.नं. 539 में शामिल की जाकर उसका रकबा 2.40 है0 की जगह 2.65 है0 दर्ज फरमाया जावें व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जावें। प्रतिवादीगण/अपी0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह वादीगण/रेस्पों के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं दे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/रेस्पों0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/रेस्पों0 का दावा स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपी0 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पों0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि निर्णय व डिक्री दिनांक 03.12.2009 अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून रूहेदाद मिसिल है और विधि विरूद्ध है एवं अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पों. ने वादपत्र दिनांक 16.10.2008 को अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया है तथा दिनांक 14.05.2009 को अपी0 के विरूद्ध तहत आदेश एक तरफा कार्यवाही किए जाने के आदेश पारित कर पत्रावली वास्ते साक्ष्य निर्धारित की गई तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.06.2009 नियत की गई जबकि वास्तविकता यह है कि अपी0 किसी भी न्यायालय में गया तक नहीं तथा अपी0 की फर्जी निशानी कर उक्त संपूर्ण कार्यवाही खिलाफ कानून

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:58:30 IST
Reason: SelfAttested

फोटो प्रतिलिपि
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

जाकर की गई है। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपी0 को किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया न ही साक्ष्य सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया। तहत न्यायालय ने दिनांक 14.05.2009 से आगामी पेशी दिनांक 11.06.2009 निर्धारित की है जबकि दिनांक 11.06.2009 की ही आदेशिका पत्रावली में मोजूद नहीं है तथा दिनांक 23.07.2009 को जनरल नोटिस से पत्रावली ली गई है। अपी0 की गैरमौजूदगी में दिनांक 20.08.2009 को फर्जी निशानी कर आ. 9 रूल 7 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है एवं राजीनामा प्रस्तुत हुआ है तथा एक्सपार्टी कार्यवाही निरस्त की गई है व दिनांक 19.11.2009 को आ. 1 रूल 10 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया। अपी0 की गैरमौजूदगी में अपी0 की साक्ष्य बंद की है तथा संपूर्ण कार्यवाही एक ही दिन में संपादित की गई है। प्रकरण में जबाब वगैरह का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। तहत न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की कोई विवेचना अपने निर्णय में नहीं की है जबकि माननीय राजस्व मण्डल एवं उच्च न्यायालय की कई नजीरों में स्पष्ट मत पारित किया है कि तहत न्यायालय को दावे एवं जबाव दावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक इश्यू पर अपना मत पारित कर निर्णय पारित करना चाहिये। वादग्रस्त आराजीयात अपी0 की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात है जिस पर अपी0 काबिज काश्त है। रेस्पों. सं. 1 व 2 ने उक्त आराजीयात का दिनांक 15.07.2019 को बेचने हेतू किसी अन्य पक्षकार को लेकर मौके पर गये तो मोके पर अपी0 उपस्थित मिला तो उन्होंने कहा कि यह जमीन हमने तुम्हारे खाते से कम करा ली है और रिकार्ड में दर्ज करा ली है। इस पर दिनांक 18.07.2019 को न्यायाल उपजिला कलेक्टर बामनवास में पहुंचकर निर्णय व डिक्री तथा अन्य नकलें प्राप्त की इससे पूर्व अपीलांट को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी। अपी0 द्वारा अपील पेश करने तक का समय क्षमा किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम 1963 स्वीकार फरमाया जावें। इस प्रकार उक्त निर्णय का ज्ञान अपीलार्थी को हो सका। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाया जावें।

4. रेस्पों. के विद्वान अधिवक्ता ने अपील बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि ग्राम पिपलाई में भूमि साबिक ख.नं. 259 रकबा 1 विस्वा, ख.नं. 260 रकबा 13 बीघा 3 विस्वा भूमि रामकिशन पुत्र पाला माली की खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है। उक्त खातेदार ने ख.नं. 259 रकबा 1 विस्वा, ख.नं. 260 रकबा 13 बीघा 3 विस्वा में से 12 बीघा कुल 12 बीघा 4 विस्वा भूमि मदिया व मु0 [illegible] देवी पत्नि मोहनलाल महाजन को दिनांक 06.07.1979 को वय कर [illegible] भूमि [illegible] संभला दिया। तभी से रेस्पों. का इस भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। भू-प्रबंध में इसके नवीन ख.नम्बरान 538 रकबा 2 ऐयर, ख.नं. 187 रकबा 23 ऐयर, ख.नं. 536 रकबा 6 ऐयर, ख.नं. 537 रकबा 10 ऐयर, ख.नं. 539 रकबा 2.40 है0 कुल 2.81 है0 का इन्द्राज खातेदारी रेस्पों. व मैनादेवी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:58:30 IST
Reason: SelfAttested

फोटो प्रतिलिपि
राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

नाम किया जो 11 बीघा 5 बिस्वा के बराबर भूमि होती है। इस प्रकार रेस्पों. को 1 बीघा भूमि कम दी गयी है जिसे अपी0 के हाल ख.नं. 542 में गलत रूप से शामिल कर दिया गया है। रेस्पों. ने ख.नं. 538 में चाह का निर्माण कर रखा है। इससे लगता हुआ ख.नं. 539 है व इसके ही लगा हुआ ख.नं. 542 है जिसमें रेस्पों. की 25 ऐयर भूमि गलत रूप से अपी0 के नाम दर्ज कर दी। उक्त भूमि रेस्पों. के कब्जे काश्त खातेदारी की ख.नं. 539 से लगती हुई का जुज पोरशन है जिस पर रेस्पों. काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है। रेस्पों. की भूमि का गलत इन्द्राज अपी0 के नाम कर दिए जाने के कारण अपी0 इस भूमि को रहन वय करने पर आमादा हो गया है। रेस्पों. ने माह सितम्बर 2008 में अपी0 से इन्द्राज दुरूस्ती कराने को कहा परन्तु उसने धमकी दी कि वह रेस्पों. की जो 25 ऐयर भूमि उसके नाम लगा दी है उसका रेस्पों. को उपयोग उपभोग नहीं करने देगा। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो का विधि पूर्वक अध्यनन एवं मनन कर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अपी0 को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी होते हुए भी जानबूझ कर अपील देरी से पेश की है। परिसीमन अधिनियम की धारा–5 के बारे में कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम 1963 खारिज फरमाया जावे। अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री यथावत रखा जावे।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अद्योपान्त अवलोकन किया गया।

6. प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 परिसीमन अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

7. अपील के बिन्दु सं. 3 में कथन किया है कि ''अपी0 की गैरमौजूदगी में दिनांक 20.08.2009 को फर्जी निशानी कर आ. 9 रूल 7 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा राजीनामा प्रस्तुत हुआ''। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 20.08.2009 में अभिलिखित है कि ''गैरसायलान(प्रतिवादी) रामसहाय मय वकील हाजिर हुआ। प्रतिवादी की ओर से श्री लक्ष्मीकांत शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा, प्रार्थना पत्र 09 रूल 7 सी.पी.सी इकबालिया जवाब व राजीनामा पेश किया''। पत्रावली पर दिनांक 20.08.2009 को श्री लक्ष्मीकांत एडवोकेट का वकालतनामा विधिवत रूप से प्रस्तुत हुआ है। सम्बन्धित अभिभाषक द्वारा [illegible] निशानी को निर्धारित भी किया है। राजीनामा को विचारण न्यायालय [illegible] रूप से तस्दीक भी किया है। प्रस्तुत जवाब दावा में भी सम्बन्धित वकील के [illegible] है। यदि अपी0 की फर्जी निशानी की गयी थी तो उसके द्वारा [illegible] कार्यवाही की गयी है यह दस्तावेज भी पत्रावली पर मोजूद नहीं है। इसलिए विचारण न्यायालय में की गयी कार्यवाही पर संदेह नहीं किया जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:58:30 IST
Reason: SelfAttested

फोटो प्रतिलिपि
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

विधिक त्रुटि दृष्टव्य नहीं होने के कारण हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील खारिज योग्य है।

8. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर बामनवास के मु0नं0 82/08 निर्णय दिनांक 03.12.2009 को यथावत रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

12.10.21

(बी0 एल0 रमण)
राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

फोटो प्रतिलिपि

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:58:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner